भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *249
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की कमी

***249. एडवोकेट अदूर प्रकाश :**

श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी के कारण लंबित मामलों का निपटारा करने में विलंब हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपनी 31 न्यायाधीशों की पूरी संख्या एक दशक से अधिक के उपरान्त प्राप्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में उच्च न्यायालयों में 43 लाख तथा उच्चतम न्यायालय में 59000 मामले निपटारे हेतु लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार को बैकलॉग को समाप्त करने हेतु उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने हेतु भारत के मुख्य न्यायाधीश से कोई प्रस्ताव/पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"न्यायाधीशों की कमी" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *249 जिसका उत्तर तारीख 10.07.2019 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (ङ) : भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी नहीं है। उच्चतम न्यायालय वर्ष 2009 से प्रथम बार 31 न्यायाधी शों की अपनी पूर्ण संख्या पर पहुंच गया है। तथापि , तारीख 01.07.2019 की स्थिति के अनुसार , उच्च न्यायालयों में 403 रिक्तियां हैं । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का आरंभ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत् सहयोगकारी प्रक्रिया है, इसमें विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। जबकि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरे जाने का हर एक प्रयास किया जाता है, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या न्यायाधीशों का उन्नयन और न्यायाधीशों की संख्या मे वृद्धि के कारण रिक्तियां उद्भूत होती रहती हैं।

तारीख 01.07.2019 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में 59331 मामले और उच्च न्यायालयों में 43.55 लाख मामले लंबित हैं।

उच्चतर न्यायपालिका में मामलों के निपटान में देरी , केवल न्यायाधीशों की कमी के कारण ही नहीं है, बल्कि विभिन्न कारकों के कारण है, जैसे कि (i) राज्य और केंद्रीय विधान की संख्या में वृद्धि होना, (ii) प्रथम अपीलों का संचित होना , (iii) कुछ उच्च न्यायालयों में साधारण सिविल अधिकारिता का जारी रहना, (iv) न्यायिककल्प अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में की जा रही अपीलें ,(v) पुनरीक्षण/अपीलों की संख्या , (vi) बारंबार होने वाले स्थगन , (vii) रिट अधिकारिता का अविवेकपूर्ण प्रयोग, (viii) मानीटर, खोज के लिए पर्याप्त इंतजामों का अभाव और समूह मामलों की सुनवाई (ix) न्यायालय अवकाश की दीर्घ-कालिक अवधि और (x) न्यायाधीशों को प्रशासनिक प्रकृति के कार्य सौंपना, इत्यादि।

भारत के मु ख्य न्यायमूर्ति (सीजेआई) ने समुचित रुप से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं , जिससे कि अधिक दक्षतापूर्ण और प्रभावी रुप से कार्य किया जा सके और वादकारी जनता को समय से न्याय दिलाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने लम्बी अवधि के लिए अधिक अनुभवी न्यायाधीशों की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और रिक्त पदों में अभिवृद्धि करने तथा लंबित मामलों में कमी करने के लि ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव किया हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि के मामलों पर अन्य उपायों के साथ पारदर्शिता , न्यायाधीशों की नियुक्ति में जबाबदेही और उच्चतर न्यायपालिका में लंबित मामलों में कमी लाने के लिए न्यायालय और मामला प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता है ।

****